संख्या- 1205 /XIX/2006-150/05

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 28 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2006

विषयः- जनपद चम्पावत में 500 मी0टन क्षमता का खाद्यान्न गोदाम एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 850/सह0आ0खा0/300/03/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चम्पावत में 500 मी0टन क्षमता के खाद्यान्न गोदाम निर्माण हेतु परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संस्थान, विकास एवं निमार्ण निगम, चम्पावत द्वारा तैयार आगणन रूपये 32.50 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनरीक्षित दरों में वृद्धि के अनुसार औचित्यपूर्ण धनराशि रू. 36.35 लाख (रूपये छत्तीस लाख पैंतिस हजार मात्र) की वर्ष 2006-07 के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि आहरित कर संबंधित निमार्ण इकाई परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-7 निमार्ण विंग, उत्तरांचल पेयजल संस्थान, विकास एवं निमार्ण निगम, चम्पावत को इस शर्त के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि वह माह मार्च, 2007 तक उक्त खाद्यान्न गोदाम का निमार्ण पूर्ण कराकर आयुक्त, खाद्य को हस्तान्तरित कराये जाने का प्रमाण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत धनराशि का अवशेष 10 प्रतिशत वित्तीय, भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी। संशोधित आगणन की प्रति संलग्न है।
2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधिक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाये।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत फार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।